उत्तर प्रदेश सरकार,
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
सूचना/विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेशं पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) ,पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती –2020 के अन्तर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के सम्बन्ध में प्रक्रिया

संख्याः पीआरपीबी-दो-1(लि.सं.डीवी /पीएसटी) /2020 दिनांकः दिसम्बर 31, 2021

उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुये बोर्ड द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को विनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

2– **यह परीक्षण एक समिति द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। इस समिति का स्वरूप निम्नवत् है–**

(क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलेक्टर अध्यक्ष होगा।

(ख) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक।

(ग) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी।

जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहाँ उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होगें।

3– मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों से किया जायेगा।

4– अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान बोर्ड, किसी समिति द्वारा किसी प्रकरण का कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, बोर्ड अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेगें।

5– अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में, आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा ,तथा यथास्थिति आपराधिक मामला संस्थित करके यथाविधि कार्यवाही की जायेगी।

6— उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही तत्समय सम्पादित की जायेगी। अभिलेखो की संवीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा ही शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही की जायेगी।

<u>अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षण हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्न होगें—</u>

(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैः-

(क) ऊँचाई

(1)- सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई -163 सेन्टीमीटर है।

(2)- अनुसूचित जन जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 156 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीना

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

टिप्पणीः- **न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।**

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है –

(क) ऊँचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियाँ की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 150 सेन्टीमीटर है।

(2) अनुसूचित जन जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर है।

(ग) वजन

महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम।

7— कोई अभ्यर्थियों जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट न हो, परीक्षा के पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिये बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा,इस शारीरिक मानक परीक्षण रिपोर्ट पर, नाम निर्दिष्ट समित के सभी सदस्य तथा अपर पुलिस अधीक्षक हस्ताक्षर करेगें। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अग्रेतर कोई अपील स्वीकार नही की जायेगी।

8— अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हों।

9– यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक एवं समय पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में परीक्षा संचालन हेतु गठित समिति को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुये प्रत्यावेदन दे सकता है। बोर्ड द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

10– परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अन्तिम रुप से असफल घोषित किये गये अभ्यर्थी को, किसी भी आधार पर, कोई अन्य अवसर नही दिया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा पुनः परीक्षा के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

11– अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के परिणाम पत्रक पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों से उन्हें सूचित करते हुये तिथि सहित हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें, तत्पश्चात समिति के सदस्यों के नाम एवं पदनाम की मोहर तथा तिथि सहित हस्ताक्षर करेगें।

31/5/17

अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।